न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम), न्याय कक्ष संख्या 02, बुलन्दशहर।

उपस्थित : सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय, एच0जे0एस0,

(J.O. Code No. - UP01597)

विशेष सत्र वाद संख्या 918 सन् 2021,

उत्तर प्रदेश राज्य ————————**अभियोजन।**

बनाम

विधि विरोधी बालक 'X' पुत्र रामप्रकाश सिंह निवासी नगला तलवार डिबाई बुलन्दशहर।

————**विधि विरोधी बालक 'X'।**

मुकदमा अपराध संख्या 30 सन 2021
धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम
थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

शिकायतकर्ता	पोप सिंह
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री धर्मेन्द्र सिंह राघव, विशेष लोक अभियोजक
बचाव पक्ष की ओर से	श्री दिनेश सिंह, एडवोकेट
अन्तर्गत धारा	*धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम*
मुकदमा अपराध संख्या	30/2021
पुलिस थाना	डिबाई
जिला	बुलन्दशहर।
घटना की तिथि	23.01.2021
घटना का समय	अज्ञात
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	28.01.2021
आरोप विरचन की तिथि	25.08.2021
अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	18.09.2021 से 27.04.2026 तक

Digitally signed by SATYENDRA
PRAKASH PANDEY
Date: 2026.08.06 15:08:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि	01.05.2026
बहस की तिथि	01.08.2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	06.08.2026

निर्णय

1. यह अपराधिक वाद थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में पंजीकृत अपराध संख्या 30/2021, अन्तर्गत धारा 366 भा0दं0सं0 के आधार पर विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा विधि विरोधी बालक 'X' के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है।

2. कथित प्रकरण में एक अल्पवस्यक बालिका को उसके विधिक संरक्षक के संरक्षकत्व से व्यपहरण/बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसे अयुक्त संभोग अथवा विवाह करने के लिये विवश करने व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर जबरन बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला करने का आरोप है और उक्त आरोप में विधि विरोधी बालक 'X' का विचारण किया गया है। ऐसी दशा में **भारतीय दंड संहिता की धारा 228–ए** व **धारा 33(7) पॉक्सो एक्ट** में प्रावधानित विधि के आलोक में पीड़िता की पहचान के बारे में कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी व उसके नाम व पता को उल्लिखित न करते हुए निर्णय पारित किया जायेगा और पीड़ित अल्पवयस्क बालिका के नाम के स्थान पर **''पीड़िता''** शब्द प्रयोग किया जायेगा।

3. संक्षेप में **अभियोजन कथानक** यह है कि वादी मुकदमा पोप सिंह द्वारा थाना इन्चार्ज डिबाई, जिला–बुलन्दशहर के समक्ष इस आशय की तहरीर **प्रदर्श क–1** दी गई कि उसे दिनांक–23.01.2021 को सुबह पता लगा कि उसकी पुत्री 'पीड़िता' को रामप्रकाश का पुत्र, विधि विरोधी बालक 'X' जबरन धमकाकर अपने साथ उठाकर ले गया। पीड़िता घर के बाहर पेशाब करने आयी थी। ये दोनों पीड़िता और विधि विरोधी बालक 'X' नोएडा दिनांक 24.01.2021 को मिले है। विधि विरोधी बालक 'X' के पिता अपने लड़के को घर ले आये है, जबकि पीड़िता को नोएडा छोड़ आये है। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

4. वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र पर थाना डिबाई में मु0अ0सं0–30 सन 2021, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर मामले की विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा विधि विरोधी बालक 'X' के विरूद्ध धारा–363,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अपराध बनता पाते हुए आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड बुलन्दशहर के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड बुलन्दशहर द्वारा दिनाँक–05.04.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. किशोर न्याय बोर्ड बुलन्दशहर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–27/2021 में पारित आदेश दिनाँक–01.07.2021 के अन्तर्गत किशोर अपचारी की आयु 16 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम निर्धारित करते हुए बालक का विचारण बालिग के रूप में किये जाने हेतु पारित आदेश दिनाँक–08.07.2021 के अन्तर्गत इस न्यायालय को पत्रावली अन्तरित की गई। जहाँ यह मामला विशेष वाद संख्या–918/2021 के रूप में पंजीकृत हुआ।

6. विधि विरोधी बालक 'X' के विरूद्ध धारा 363,366,376 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अप राधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, के अपराध के लिए दिनाँक–25.08.2021 को आरोप विरचित किया गया। विधि विरोधी बालक 'X' द्वारा आरोप को अस्वीकार करते हुए विचारण की मांग की गई।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है एवं उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन के प्रपत्रों को साबित किया गया है, जो निम्नलिखित सारणी के अनुसार है–

अभियोजन साक्षी संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**	**साबित अभियोजन प्रपत्र का विवरण**
P.W.-1	पीड़िता का पिता	वादी मुकदमा	तहरीर **(प्रदर्श क–1)**
P.W.-2	अल्पवयस्क पीड़ित बालिका	पीड़िता	बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 **(प्रदर्श क–2)**
P.W.-3	नीतू	पीड़िता की भाभी	–
P.W.-4	सौरभ शर्मा	(कनिष्ठ सहायक) बाबूराम इण्टर कॉलेज तलवार	**प्रवेश फार्म की छाया प्रति (प्रदर्श क–3),एस0आर0 की रजिस्टर की छाया प्रति (प्रदर्श क–4),टी0सी0 की प्रमाणित छाया प्रति (प्रदर्श क–5), प्रधानाचार्य द्वारा जारी**

			प्रमाणपत्र की प्रति (प्रदर्श क–6), अधिकृत पत्र (प्रदर्श क–7)

8. विधि विरोधी बालक 'X' की ओर से शेष अभियोजन प्रपत्रो की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। अतः अभियोजन द्वारा उक्त प्रपत्रों को साबित करने के लिए औपचारिक साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है एवं अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तत्पश्चात अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

9. विधि विरोधी बालक 'X' द्वारा **धारा 313 दं0प्र0सं0** के अन्तर्गत दिये गये कथन में अभियोजन कथानक को गलत बताया है। विधि विरोधी बालक 'X' ने झूँठी तहरीर दिया जाना कहा है। विधि विरोधी बालक 'X' से गवाह पी0 डबल्यु01 के बयान के बारे में पूछे जाने पर गवाह ने कथन किया है कि कुछ नहीं। विधि विरोधी बालक 'X' से गवाह पी0 डब्ल्यु02 के बारे में पूछा गया तो गवाह ने कहा है कि कुछ नहीं। विधि विरोधी बालक 'X' से पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. के बारे में पूछे जाने पर कथन किया है कि झूँठा व मनगढन्त बयान दिया है, गलत साबित किया है। विधि विरोधी बालक 'X' से गवाह पी0 डबल्यु03 के बारे में पूछने पर बताया है कि कुछ नहीं कहना है। विधि विरोधी बालक 'X' से गवाह पी0 डब्ल्यु04 के बारे में पूछे जाने पर विधि विरोधी बालक 'X' ने कहा है कि जन्मतिथि के संबंध में कोई जन्म प्रमाण पत्र या शपथपत्र नहीं दिया गया है। गलत साबित किया है। यह पूछे जाने पर मुकदमा क्यों चला विधि विरोधी बालक 'X' ने कहा है कि रंजिशन चलना कहा है। सफाई साक्ष्य से इंकार किया है। अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह निर्दोष है। उसे गाँव की पार्टीबन्दी/चुनावी रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। वह पढ़ने वाला छात्र है। उसे दोषमुक्त किया जाये।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण का मौखिक साक्ष्य निम्न प्रकार से है–

(i) **<u>साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा पोप सिंह</u>**

इस साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना अब से करीब 15 माह पूर्व की है। उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष, गुस्से में रिश्तेदारी में चली गयी थी। वह उसके लड़के के साढ़ू के घर चली गयी थी।

उसका लड़का उसे तलाश करके रिश्तेदारी में से घर ले आया। गाँव वालों के कहने से रिपोर्ट उसने कहने से लिखवा दी थी। थाने के सामने एक आदमी मिला था, उससे रिपोर्ट लिखवायी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 19ए/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो थाने पर दी थी इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा गवाह से जिरह की गयी। अभियोजन द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि तहरीर उसने अन्जान व्यक्ति से बोल बोलकर लिखायी थी। वह पढ़ा लिखा नहीं है। तहरीर सही होगी। तहरीर में उसने यह लिखाया था कि विधि विरोधी बालक 'X' उसकी लड़की को उठाकर ले गया था। उसने तहरीर में यह भी लिखाया था कि विधि विरोधी बालक 'X' व पीड़िता नोएडा दिनांक 21.01.2021 को मिले है। उसने तहरीर में यह भी लिखाया था कि विधि विरोधी बालक 'X' के पिता उसे घर ले आए और उसकी बेटी को नोएडा छोड़ आये। उसने दरोगा जी को वह स्थान भी दिखाया था, जहां से विधि विरोधी बालक 'X' पीड़िता को ले गया था। वे लड़की को मेडिकल कराने भी गये थे। मेडिकल पर अपने हस्ताक्षर देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही मेडिकल है जिसे वह कराने गया था। उसकी बेटी के न्यायालय में बयान हुए थे। उसका दरोगा जी ने बयान लिया था। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी को सभी बात बता दी थी। अब उसका इस मुकदमें में विधि विरोधी बालक 'X' से फैसला हो गया है। दरोगा जी ने उसका बयान 161 सीआर0पी0सी0 में लिया था। गवाह को बयान 161 सीआर0पी0सी0 पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि हाँ उसने यही बयान दरोगा जी को दिया था। गवाह से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** की गयी तो गवाह का कथन है कि वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। केवल हस्ताक्षर करना जानता है। उसे नहीं पता कि तहरीर में क्या लिखा था, लिखने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाया था। केवल हस्ताक्षर कराये थें। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी, ना ही उसके किसी कागज पर हस्ताक्षर कराये। तहरीर गांव वालों के कहने पर दी थी। उसकी बेटी रिश्तेदारी में चली गयी थी। उसकी बेटी पीड़िता को हाजिर अदालत मुल्जिम विधि विरोधी बालक 'X' नहीं ले गया था। उसका बेटा पीड़िता को लेकर आया था। घर मे कहा–सुनी को लेकर उसकी बेटी नाराज होकर रिश्तेदारी में चली गयी थी। दरोगा जी ने नक्शा बनाया था। वह नहीं जानता नक्शा किसे कहते है। वह यह भी नही जानता कि 161 सीआर0पी0सी0 का

बयान क्या होता है। यह कहना सही है कि इस मुकदमे की कार्यवाही दरोगा जी ने गांव वालों के कहने पर की थी, उसके कहने से नहीं की।

(ii) **<u>पी0 डब्ल्यु02 पीड़िता</u>**

इस साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना अब से करीब 15 माह पुरानी है। उसकी मम्मी पापा से लड़ाई हो गयी तो वह अपनी रिश्तेदारी में चली गयी थी। विधि विरोधी बालक 'X' को वह नहीं जानती। विधि विरोधी बालक 'X' उसके गांव का है। शक्ल से जानती है। विधि विरोधी बालक 'एक्स' उसके स्कूल में ही था। वह इण्टर में थी। विधि विरोधी बालक 'एक्स' का पता नहीं किस क्लास में था। उसे नहीं पता रिपोर्ट किसने करायी। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा गवाह से जिरह की गयी। अभियोजन द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि वह पुलिस के साथ अस्पताल आयी थी। प्रश्न–क्या तुमने अपनी जन्मतिथि डॉ0 को बताई थी। उत्तर–पता नहीं। डॉक्टर साहब को बयान दिया था। घटना के बारे में बताया तो था। यह प्रश्न पूँछने पर कि मेडिकल क्यूँ कराया, उत्तर दिया कि पुलिस वालों ने धमका दिया था। डॉक्टर ने सैम्पल लिये थे, ब्लड लिये थे। पुलिस को बयान दिये थे। उसकी भाभी का नाम नीतू है, उनके पास मोबाईल है। यह पूँछने पर कि क्या भाभी के फोन से विधि विरोधी बालक 'X' से बात होती थी, तो उत्तर दिया नहीं। पीड़िता ने आगे अपनी **जिरह** में कथन किया है कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पर चस्पित फोटो व हस्ताक्षर उसके है। यह बयान उसने दिया था, परन्तु किसके दबाब में दिया था। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। बयान पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि यह बयान उसे याद नहीं। वह इण्टर पास है। विधि विरोधी बालक 'X' को जानती है गांव का है। उसका घर व विधि विरोधी बालक 'X' का घर दूरी पर है। वास्तविक दूरी नहीं बता सकतीं। विधि विरोधी बालक 'X' व वह अलग–अलग क्लास में पढ़ते थे। गांव से साथ–साथ भी नहीं जाते थे। यह कहना गलत है कि विधि विरोधी बालक 'X' व उसके परिवार से सुलह होने के कारण वह आज झूँठी गवाही दे रही है। यह भी कहना गलत है कि विधि विरोधी बालक 'X' उसे बहला फुसलाकर नोएडा ले गया हो और वहाँ उसके साथ बलात्कार किया हो। उसे ध्यान नहीं कि उसका मेडिकल हुआ था या नहीं या पुलिस ने पूँछताछ की थी या नहीं।

(iii) <u>पी0 डब्ल्यु0–3 नीतू</u>

इस साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना वाले दिन वह अपने मायके नरायनपुर गयी हुयी थी। उसकी नन्द पीड़िता को विधि विरोधी बालक 'X' नहीं ले गया था। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा गवाह से जिरह की गयी। अभियोजन द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। घटना वाली रात उसकी नन्द उसके पास नहीं सो रही थी। वह अपने मायके में थी। उसने दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि उसकी नन्द रात्रि में दरवाजा खोलकर विधि विरोधी बालक 'X' के साथ चली गयी। उसे यह नहीं पता विधि विरोधी बालक 'X' इस केस में जेल गया था। इस केस मे उसकी नन्द का मेडीकल हुआ। उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि वह आज फैसला होने के कारण वह न्यायालय में झूँठी गवाही दे रही हो। यह कहना गलत है कि उसने पैसा लेकर फैसला कर लिया हो। वह आज न्यायालय में न्यायालय के समन पर गवाही देने आयी है। हाजिर अदालत मुल्जिम विधि विरोधी बालक 'X' उसकी नन्द को ले गया था या नहीं ले गया, उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि वह विधि विरोधी बालक 'X' को बचाने के लिए वह झूँठी गवाही दे रही हो। गवाह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा **जिरह** की गयी तो गवाह का कथन है कि घटना वाले दिन वह ससुराल में मौजूद नहीं थी, अपने मायके पर थी। विधि विरोधी बालक 'X' उसकी नन्द पीड़िता को भगाकर नहीं ले गया था। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। आज वह अदालत में अपनी मर्जी से सच बात बता रही है। यह कहना गलत है कि वह विधि विरोधी बालक 'X' को बचाने के लिये यह बयान दे रही हो।

गवाह से न्यायालय द्वारा पूछे जाने गवाह का कथन है कि उसे नहीं पता कि विधि विरोधी बालक 'एक्स' के खिलाफ मुकदमा क्यो ंचला था। विधि विरोधी बालक 'X' उसके गांव का है। उसे नहीं पता कि यह जेल क्यों गया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। पीड़िता उसकी नन्द है।

(iv) <u>गवाह पी0 डब्ल्यु0 4 सौरभ शर्मा ,कनिष्ठ सहायक बाबूराम इण्टर कालेज तलवार, बुलन्दशहर</u>

इस साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वह उपरोक्त विद्यालय में 28.06.21 से उपरोक्त पद पर कार्यरत है। उसके विद्यालय में

पीड़िता का दाखिला कक्षा–09 में दिनाँक–29.04.2016 को हुआ था, जो उसके विद्यालय में लगातार कक्षा 12 तक पढ़ी थी, जिसका नाम उसके विद्यालय के मूल एस0आर0 रजिस्टर सं0 107 वर्ष 2016–17 क्रंमाकित 10402 –10502 पर क्रमाक सं0 10460 पर अंकित है। पीड़िता की जन्मतिथि 07.04. 2023 अंकित है। उसके विद्यालय में पीड़िता के दाखिले का प्रवेश फार्म उसके संरक्षक द्वारा भरा गया था, जिसमें पीड़िता का नाम पता उपरोक्त व जन्मतिथि 07.04.2003 अंकित की गयी थी। आज मूल प्रवेश फार्म की छाया प्रति जो वर्तमान प्रधानाचार्य श्री नरेश कुमार द्वारा प्रमाणित है, पत्रावली पर दाखिल करता है। इस पर पीड़िता व उसके संरक्षक कुंवरपाल सिंह के हस्ताक्षर है। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। संबंधित मूल एस0आर0 रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल करता है। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पीड़िता का दाखिला उसके विद्यालय में उसके पूर्व के स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला तलवार बुलन्दशहर से कक्षा 08 पास करने की टी0सी0 के आधार पर उसका दाखिला किया गया था, जिसकी मूल टी0सी0 की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल करता है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। उक्त टी0सी0 में भी पीड़िता का नाम पता उपरोक्त व जन्मतिथि 07.04.2003 अंकित है। पत्रावली पर कागज सं0 8ए/1 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह प्रमाण पत्र पीड़िता उपरोक्त के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश कुमार द्वारा जारी किया गया है। इस पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व विद्यालय की मोहर लगी है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। इसमें भी पीड़िता का नाम पता उपरोक्त व जन्मतिथि 07.04.2003 अंकित है। वह आज अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश कुमार के अधिकृत पत्र के अनुपालन में साक्ष्य हेतु न्यायालय हाजिर आया है। अधिकृत पत्र पत्रावली पर दाखिल करता है। इस अधिकृत पत्र पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। गवाह से **जिरह** की गयी तो गवाह का कथन है कि एडमिशन उसने टी0सी0 के आधार पर लिया था, टी0सी0 के अलावा कोई जन्म प्रमाण से संबन्धित प्रपत्र अथवा दस्तावेज अथवा साक्ष्य नहीं लिया था, जिससे कि जन्मतिथि की पुष्टि हो सके। एडमिशन कराने संरक्षक कुंवरपाल सिंह व पीड़िता आये थे। संरक्षक के संबंध में एडमिशन के समय कोई पहचान पत्र या माता–पिता का कोई पहचान पत्र अथवा पीड़िता छात्रा का जन्म से संबंधित व निवास से संबंधित कोई पहचान पत्र नहीं लिया था अथवा आपने किसी अन्य वर्ष में छात्रा के

पढ़ते हुए समय अन्य सत्र में भी कोई जन्म के संबंध में कोई प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र नहीं लिया था और ना ही संरक्षक माता पिता प्राकृतिक कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। टी0सी0 जिस स्कूल से निर्गत की गयी, के संबंधं मे ंआपने कोई स्कूल से कोई जांच करायी, टी0सी0 गलत है अथवा सही है। अगर ऐसे में जांच करेंगे तो एडमिशन ही नहीं होगे। आपके स्कूल ने संरक्षक से संबंध व माता–पिता का विवरण पूछा या नहीं तो कहा जो संरक्षक साथ आये थे फार्म में वही अंकित किया। प्रवेश कक्षा–9 में कराया था। एडमिशन शुल्क नहीं है। मासिक शुल्क या वार्षिक शुल्क की कोई धनराशि रसीद अथवा रजिस्टर या इससे संबंधित कोई अभिलेख दाखिल नहीं है। संरक्षक से कोई माता–पिता का जीवन या मृत प्रमाण पत्र नहीं लिया ना ही कोई शपथ पत्र लिया और ना ही कोई अन्य साक्ष्य लिया और ना ही प्रवेश फार्म में लिखाया, जो प्रवेश फार्म है, उसमें अलग–अलग पैन का प्रयोग किया गया है। प्रविष्टियाँ अलग–अलग, प्रवेश फार्म में अलग–अलग पैन से अंकित की गई है तथा लेख में भी अंतर पाया गया है। प्रवेश फार्म पर पिछले पृष्ठ पर प्रधानाचार्य द्वारा बेरीफाई किया गया है जो कि प्रविष्टियां रिक्त है। एडमिशन लेते समय संरक्षक से कोई फोटो नहीं लिया और उस समय प्राकृतिक माता पिता और छात्रा का कोई भी फोटो उस समय नहीं लिया और ना ही आज प्रवेश फार्म पर फोटो अंकित है जो एस0आर0 रजिस्टर लाये है उस पर किसी प्राधिकृत अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा मोहर या साईन या दिनांक अंकित है अथवा नहीं–तो कहा कि सिर्फ साईन है। एक जैसे साईन है अथवा नहीं तो कहा कि एक जैसे नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति के है, जबकि एस0आर0 रजिस्टर में जन्मतिथि से संबंधित व नाम से संबंधित एस0आर0 नं0 10429 पर एक नाम पर फ्लूड लगाकर ओवर राईटिंग है तथा एस0आर0 नं0 10436 पर भी फ्लूड व ओवर राईटिंग है तथा 10443 पर भी फ्लूड व ओवर राईटिंग है तथा 10444 पर भी फ्लूड व ओवर राईटिंग है और एस0आर0 नं0 10479 पर भी फ्लूड व ओवर राईटिंग है। एस0आर0 नं0 10480 पर काटकर अलग लिखा हुआ है आदि अन्य पृष्ठों पर भी प्रविष्टियाँ बदली गई है। उसका कहना है कि संरक्षक के अनुसार प्रविष्टियाँ अंकित की गयी है।

11. ***विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा विधि विरोधी बालक 'एक्स' के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।***

12. **विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया है** कि विधि–विरोधी बालक 'X' ने नाबालिग पीड़िता को अयुक्त सम्भोग/विवाह किये जाने के लिए बहला फुसलाकर व्यपहरित कर उसके साथ बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया है। बचाव पक्ष द्वारा चिक, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8, जी0डी0 की प्रति प्रदर्श क–9, एल0एल0सी0 रिपोर्ट सी0एच0सी0 डिबाई प्रदर्श क–10, पीड़िता की मेडीकोलीगल आख्या प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 व आरोप पत्र प्रदर्श क–13 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः विधि–विरोधी बालक 'X' दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य है।

13. **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि** वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। विधि–विरोधी बालक 'X' द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। वादी मुकदमा ने उसके विरूद्ध झूँठा मुकदमा कराया है। तथ्य के साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष विधि–विरोधी बालक 'X' के विरूद्ध अपने कथानक को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है और विधि–विरोधी बालक 'X' संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

विश्लेषण व निष्कर्ष :–

14. प्रस्तुत मामले में सम्यक न्याय निर्णयन हेतु निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु विचारणीय हैं–

1. *क्या पीड़िता घटना के दिनाँक 23.01.2021 को धारा 2'घ' लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में वर्णित बालक की कोटि में थी?*
2. *क्या विधि–विरोधी बालक 'X' ने नाबालिग पीड़िता को अयुक्त सम्भोग/विवाह किये जाने के लिए विवश करने हेतु बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार/ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?*
3. *क्या अभियुक्त धारा–29 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा को अपने साक्ष्य से खंडित कर पाने में सफल रहा है?*

अवधारणीय बिन्दु संख्या–1

क्या पीड़िता घटना के दिनाँक 23.01.2021 को धारा 2'घ' लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में वर्णित बालक की कोटि में थी?

15. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर आरोपित अपराध अभियोजन द्वारा साबित होने या न होने के सम्बन्ध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है कि ***क्या घटना के दिन पीड़िता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2'घ' में उपबन्धित बालक की कोटि में थी?***

16. **धारा–2घ *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012*** के अनुसार ''बालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है। **निर्णयज विधि जनरैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2013),7 एस0सी0सी0 263** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि सिद्धान्त के आलोक में पीड़िता की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की **धारा–94** के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, जिसके अनुक्रम में पीड़िता की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर की जायेगी। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने की दशा में निगम या नगरनिगम के अधिकारी या किसी पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रपत्रों के अभाव में आयु का निर्धारण नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर ही पीड़िता का आयु का अवधारण किया जाना विधि संगत है।

17. प्रदर्श क–1 तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। न्यायालय में दिये गये बयान में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने पीड़िता की आयु 17 वर्ष होना बताया है। पी0डब्लू0–2 पीड़िता ने अपने बयान में घटना के समय उम्र के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया है, किन्तु यह कहा है कि वह घटना के समय इण्टर में थी। पी0डब्लू0–4 सौरभ वर्मा, कनिष्ठ सहायक, बाबू राम इण्टर कॉलेज तलवार बुलन्दशहर पीड़िता की प्रवेश प्रार्थना की छायाप्रति प्रदर्श क–3, एस0आर0 रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श क–4 व निर्गमन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्श क–5 व बाबूराम इण्टर कॉलेज तलवार बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य द्वारा पीड़िता की जन्मतिथि के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र प्रदर्श क–6 को साबित

करते हुए यह कथन किया है कि उसके विद्यालय में पीड़िता का दाखिला कक्षा–09 में दिनाँक–29.04.2016 को हुआ था, जो उसके विद्यालय में लगातार कक्षा 12 तक पढ़ी थी, जिसका नाम उसके विद्यालय के मूल एस0आर0 रजिस्टर सं0 107 वर्ष 2016–17 क्रंमाकित 10402 –10502 पर क्रमाक सं0 10460 पर अंकित है। पीड़िता की जन्मतिथि 07.04.2003 अंकित है। उसके विद्यालय में पीड़िता के दाखिले का प्रवेश फार्म उसके संरक्षक द्वारा भरा गया था, जिसमें पीड़िता का नाम पता उपरोक्त व जन्मतिथि 07.04.2003 अंकित की गयी थी। आज मूल प्रवेश फार्म की छाया प्रति जो वर्तमान प्रधानाचार्य श्री नरेश कुमार द्वारा प्रमाणित है, पत्रावली पर दाखिल करता है। जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि एडमिशन कराने संरक्षक कुंवरपाल सिंह व पीड़िता आये थे। स्कूल ने संरक्षक से संबंध व माता–पिता का विवरण पूछा या नहीं तो कहा जो संरक्षक साथ आये थे फार्म में वही अंकित किया। प्रवेश कक्षा–9 में कराया था। आगे कथन किया है कि प्रवेश फार्म पर पिछले पृष्ठ पर प्रधानाचार्य द्वारा बेरीफाई किया गया है। इस प्रकार पीड़िता की जन्मतिथि उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर दिनाँक–07.04.2003 साबित है। इस मामले की घटना दिनाँक–23.01.2021 की है। इस प्रकार पीड़िता घटना की दिनाँक को 17 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की थी अर्थात 18 वर्ष से कम थी। *उपरोक्त साक्ष्य से यह साबित है कि पीडिता घटना की तिथि को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2'घ' में उपबन्धित बालक की कोटि में थी।* **अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।**

अवधारणीय बिन्दु संख्या–2

क्या विधि–विरोधी बालक 'X' ने नाबालिग पीड़िता को अयुक्त सम्भोग/विवाह किये जाने के लिए विवश करने हेतु बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया?

18. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में यह देखा जाना है कि *क्या विधि–विरोधी बालक 'X' ने नाबालिग पीडिता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से बहला फुसलाकर अयुक्त सम्भोग/विवाह किये जाने के लिए विवश करने हेतु बहला फुसलाकर उसका व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।* **भगवान जगन्नाथ मार्कड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, (2016) 10 एस0सी0सी0 537** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष

पर होता है और जब तक दोषी साबित न हो जाए, आरोपी को निर्दोष माना जाता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला उचित सन्देह के परे साबित करना होता है और आरोपी उचित सन्देह का लाभ पाने का हकदार है।

19. चिक, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 की औपचारिक सत्यता बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार की गई है। चिक, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में प्रश्नगत घटना दिनाँक–23.01.2021 के सम्बन्ध में दिनाँक–28.01.2021 को समय 22.11 बजे पंजीकृत कराई गई है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा पोप सिंह द्वारा प्रदर्श क–1 तहरीर को साबित किया गया है, किन्तु घटना की दिनाँक के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक के विपरीत अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि **उसकी पुत्री गुस्से में उसके साढू के घर चली गई थी, जहां से उसका लडका उसको तलाश कर ले आया और उसने गांव वालों के कहने से रिपोर्ट लिखवा दी थी**। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुए उससे प्रतिपरीक्षा की गई, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा की गई सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का ऐसा कोई बयान अभियोजन पक्ष सामने नहीं ला सका है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी मुकदमा ने अभियुक्त द्वारा कारित घटना को स्वतन्त्र रूप से बिना किसी के बहकावे में आये तहरीर या प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई हो। जिरह में इसने यद्यपि तहरीर में अंकित बातों को सही बताया है और दरोगाजी द्वारा बयान लेने की बात भी कहीं है, किन्तु इसने यह भी कहा है कि उसका इस मुकदमें में विधि–विरोधी बालक 'X' से फैसला हो गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी ने पुनः यह कहा है कि उसे नहीं पता तहरीर में क्या लिखा था, दरोगाजी ने उससे पूछताछ नहीं की थी, उसने तहरीर गांव वालों के कहने पर दी थी और बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने पुनः स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसकी पुत्री 'पीड़िता' को हाजिर अदालत अभियुक्त विधि–विरोधी बालक 'X' नहीं ले गया था और उसकी लड़की नाराज होकर रिश्तेदारी में चली गई थी।

20. इस प्रकार, साक्षी पी0डब्लू0–1 के तौर पर वादी मुकदमा जिसके तहरीर के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक टिका है, ने अपने साक्ष्य बतौर पी0डब्लू0–1 में अभियोजन कथानक को स्वयं ही विनष्ट कर दिया है और इस साक्षी का साक्ष्य किसी भी प्रकार से अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित नहीं करता है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गणेशन बनाम स्टेट (2020) 10 एस0सी0सी0 573** के मामलें में यह अवधारित किया गया है कि *यदि मात्र पीडिता का ही साक्ष्य **विश्वसनीय व भरोसेमंद** है, तो उसकी सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं है और मात्र पीडिता के ही **विश्वसनीय व भरोसेमंद साक्ष्य** के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।* यद्यपि माननीय उच्च्तम न्यायालय के उपरोक्त विधि दृष्टान्त के अनुसार किसी लैंगिक अपराध के मामले में केवल पीड़िता का ही बयान यदि विश्वसनीय व भरोसेमन्द पाया जाता है, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है और पीड़िता के बयान के सम्पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु माननीय उपरोक्त न्यायालय का विधि दृष्टान्त प्रत्येक मामले के तथ्य व साक्ष्य के आलोक में ही लागू होता है।

22. प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष बतौर पी0डब्लू0–2 में अपने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पर लगे फोटो व हस्ताक्षर की पहचान तो की है, किन्तु धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान को पुलिस के डर से देने की बात भी कहीं है। पीड़िता ने स्वयं अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का खण्डन किया है और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उसकी मम्मी–पापा से लडाई हो गई, जिसके कारण वह रिश्तेदारी में चली गई थी। विधि–विरोधी बालक 'X' को वह नहीं जानती। अभियोजन द्वारा इसे पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी ने यह कहा है कि पुलिस के धमकाने से उसने अपना मेडीकल कराया था तथा उसकी अपने भाभी के फोन से विधि–विरोधी बालक 'X' से बात नहीं होती थी। आगे अपनी जिरह में इस साक्षी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त व उसके परिवार से सुलह होने के कारण वह झूंठी गवाही दे रही है और अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर भी इसने स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए कहा है कि यह कहना गलत है कि विधि–विरोधी बालक 'X' उसे बहला फुसलाकर नोयडा ले गया हो और वहां उसके साथ बलात्कार किया।

23. इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में पीड़िता, जो कि अभियोजन की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है, ने स्वयं अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का खण्डन कर दिया है। अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी इसने स्पष्ट रूप से विधि–विरोधी बालक 'X' द्वारा बहला फुसलाकर नोयडा ले जाने या वहां बलात्कार करने के सुझाव का खण्डन किया है और उसे गलत होना कहा है, ऐसी दशा में अभियोजन का यह तर्क, मात्र इस आधार पर कि

पीड़िता के धारा–164 दं0प्र0सं0 के बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन होता है, किसी भी दशा में अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने में अपर्याप्त है। धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान स्वयं पीड़िता के अनुसार पुलिस के दबाव में दिया जाना कहा गया है, ऐसी दशा में जबकि पीड़िता स्वयं अभियुक्त द्वारा कोई भी आरोपित अपराध करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर रही है, पीड़िता का धारा–164 दं0प्र0सं0 का बयान अभियोजन का कोई भी सहयोग नहीं करता है। साक्षी पी0डब्लू0–2 के तौर पर पीड़िता का बयान अभियोजन कथानक का समर्थन करने की बजाए अभियुक्त पर आरोपित अपराध व अभियोजन कथानक को खण्डित करता है।

24. साक्षी पी0डब्लू0–3 नीतू, जो कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश की गई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान से अभियोजन के इस दावे का ही खण्डन कर दिया है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इस साक्षी ने अपने बयान में स्वयं को घटना के दिनांक को घटना स्थल के बजाए अपने मायके में होना बताया है। अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा से भी यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि उक्त साक्षी घटना दिनांक को घटना स्थल पर थी और उसने पीड़िता को विधि–विरोधी बालक 'X' के साथ जाते देखा था। ऐसी दशा में इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का किन्चित मात्र भी समर्थन नहीं होता है, बल्कि उसका खण्डन होता है।

25. उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामलें में अन्य औपचारिक साक्षीगण तथा चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक, विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है, क्योंकि उक्त साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता विधि–विरोधी बालक 'X' की ओर से स्वीकार कर ली गई है। यद्यपि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता अभियुक्त द्वारा स्वीकार कर ली गई है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार कर लेने मात्र से अभियुक्त के विरूद्ध साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन पर सदैव यह भार है कि वह अपना मामला अपने साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करें। प्रस्तुत मामले में तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा, पी0डब्लू0–2 पीड़िता व पी0डब्लू0–3 नीतू, न केवल अभियोजन कथानक के पक्षद्रोही घोषित हुए है, बल्कि अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा से भी ऐसा

कोई तथ्य उनके बयान में निकलकर सामने नहीं आया है, जिससे अभियोजन विधि–विरोधी बालक 'X' पर आरोपित अपराध साबित कर सकें। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक द्वारा भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त करने में घोर उपेक्षा की है, जबकि पीड़िता की मेडीकोलीगल जाँच के समय पीड़िता के सैम्पल एकत्र किये गये है। इस बाबत थाना डिबाई बुलन्दशहर के प्रभारी निरीक्षक की ओर से प्राप्त आख्या 46बी के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि मु0अ0सं0–30/2021 धारा–366,376, भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित कोई माल का विवरण/एफ0एस0एल0 भेजने के सम्बन्ध में अंकित नहीं है और न ही माल सूची के अनुसार उक्त अभियोग से सम्बन्धित कोई माल प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रकरण के विवेचक की घोर उपेक्षा भी दर्शित होती है, क्योंकि उसके द्वारा न तो इस प्रकरण से सम्बन्धित माल को जाँच हेतु समय से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है और न ही कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन लेशमात्र भी अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित नहीं कर सका है। *अतः विधि–विरोधी बालक 'X' पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–363,366,376 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट किसी भी प्रकार से अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया जा सका है।* ***अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।***

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–3

क्या अभियुक्त धारा–29 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत उपधारणा को अपने साक्ष्य से खंडित कर पाने में सफल रहा है?

26. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Sambhubhai Raisangbhai Padhiyar v. State of Gujarat, (2025) 2 SCC 399,** के मामलें में पैरा–35 में यह अवधारित किया गया है कि –

"35. It will be seen that presumption under Section 29 is available where the foundational facts exist for commission of offence . …"

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन किसी भी प्रकार से अभियुक्त पर आरोपित अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित कर पाने में विफल रहा है, ऐसी दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के

आलोक में धारा–29 पॉक्सो एक्ट की उपधारणा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और न ही अभियुक्त को उक्त उपधारणा को खण्डित करने की आवश्यकता ही उत्पन्न होती है। ***तदनुसार अवधारणीय बिन्दु संख्या–3 निस्तारित किया जाता है।***

28. निष्कर्षतः, उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष विधि विरोधी बालक 'X' पर लगाये गये धारा–363,366, 376 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम के आरोपों को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। तदनुसार विधि विरोधी बालक 'X' आरोपित अपराध धारा–363,366,376 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम में दोषी साबित न पाते हुए, दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विधि विरोधी बालक 'X' को धारा–363,366,376 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम के आरोप से दोषी साबित न पाते हुए दोष मुक्त किया जाता है। विधि विरोधी बालक 'X' जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते है एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

विधि विरोधी बालक 'X' को द्वारा धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकन–50,000 रू0 का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र, इसी धनराशि की दो जमानतें एवं इस आशय की अन्डरटेकिंग **एक सप्ताह** में दाखिल किया जाये कि यदि इस मामले में अपील होती है, तो अपीलीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर वह अपीलीय न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

प्रस्तुत न्याय निर्णयन के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादी मुकदमा पोप सिंह ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि विधि विरोधी बालक 'X' उसकी पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर नहीं ले गया, वहीं दूसरी तरफ इसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि उसने तहरीर में यह लिखवाया था कि विधि विरोधी बालक 'X' उसकी लड़की को उठाकर ले गया। इस प्रकार वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 पोप सिंह के द्वारा प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष मिथ्या सूचना/साक्ष्य देने का तथ्य प्रकट होता है। अतः वादी मुकदमा पोप सिंह के विरूद्ध धारा–22 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रकीर्ण आपराधिक वाद पंजीकृत कर नोटिस जारी किया जाए।

प्रकीर्ण वाद की पत्रावली पर पी0डब्लू0—1 के बयान व निर्णय की छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु रखी जाए।

दिनांक—06.08.2026

(सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)
न्याय कक्ष सं0—02, बुलन्दशहर।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक—06.08.2026

(सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
अतिरिक्त न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)
न्याय कक्ष सं0—02, बुलन्दशहर।

स्टैनों—पंकज कुमार